india.gov.in
INDIA

झारखण्ड सरकार

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 265 30 आश्विन, 1923 शकाब्द
राँची, सोमवार 22 अक्टूबर, 2001

वित्त विभाग

- - - - -

अधिसूचना

19 अक्टूबर, 2001

संख्या 191 - - भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड-2 एवं बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के उपबंधों द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल अविभाजित बिहार राज्य में 15

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)

नवम्बर, 200 के ठीक पहले तक लागू बिहार सेवा संहिता 1952 को अधोलिखित संशोधनों के साथ अंगीकृत करते हैं।

1- यह "झारखण्ड सेवा संहिता 2001" कहलायेगी।

2- उक्त संहिता में जहां-जहां "बिहार" राज्य एवं पटना शब्दों का प्रयोग किया गया है वहाँ क्रमशः "झारखण्ड" झारखण्ड राज्य एवं राँची शब्दों को एतद् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

3- यह अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर, 2000 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस 0 एस0 दुबे,

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग, राँची।

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)